# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 56/2017 दिनांक : 11.12.2017

1. शान्ति देवी पत्नी केसराराम जाति स्वामी साकिन चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा।
2. विमला पत्नी राममूर्ति जाति स्वामी साकिन चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा।
3. सावित्री देवी पत्नी रामचन्द्र जाति स्वामी साकिन चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा।

– अपीलांट

बनाम्

1. मानसिंह पुत्र केसराराम जाति स्वामी साकिन चक चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा हाल आबाद गंगासिंहपुरा तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र केसराराम जाति स्वामी साकिन चक चक 11 एम.एस.आर. मुन्सरी तहसील भादरा हाल आबाद गंगासिंहपुरा तहसील भादरा।
3. बख्ताबरी तथाकथित पत्नी केसराराम हिरदास स्वामी साकिन हाल आबाद गंगासिंहपुरा तहसील भादरा।
4. लिलुराम पुत्र केसराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
5. राममुर्ती पुत्र केसराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
6. रामचन्द्र पुत्र केसराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
7. भाल सिंह पुत्र केसराराम जाति स्वामी निवासी चक11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
8. मदनसिंह पुत्र केसराराम जाति स्वामी निवासी चक11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
9. सुमित्रा पुत्री केसराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
10. शारदा पुत्री केसराराम जाति स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह भादरा
11. सुन्दर देवी पत्नी भालसिंह स्वामी निवासी चक 11 एमएसआर मुन्सरी तह. भादरा।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

13. हल्का गिरदावर ग्राम मुन्सरी तहसील भादरा।

14. हल्का पटवारी ग्राम मुन्सरी तहसील भादरा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय इंतकाल सं. 541 दिनांक 09.11.2017 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री महेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, अपीलांट
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

**निर्णय** **दिनांकः– 06.06.2018**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

यह कि रेस्पो. सं. 1 वगैरहा द्वारा एक वाद बाबत निरस्त बैयनामा जो मृतक केसराराम द्वारा अपीलांट के पक्ष मे कराया गया को निरस्त करने हेतु माननीय अपर जिला एवं शैसन न्यायाधिश भादरा में पेश किया गया। जिसमें मृतक केसराराम के साथ अपीलांट व अन्य को वारीस मानते हुए बैयनामा निरस्त कर दिया गया और पंजीयन भादरा को प्रति प्रेषित की।

यह कि अपीलांट द्वारा माननीय जिला सेशन न्यायाधीश भादरा के निर्णय दिनांक 11.10.2017 के विरूद्ध माननीय हाईकोर्ट जोधपुर में अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 07.11.2017 को स्थगन आदेश प्राप्त करके दिनांक 08.11.2017 को नकल प्राप्त कर दिनांक 08.11.2017 के शाम के करीब 4 बजे तहसीलदार नोहर को प्रार्थना पत्र के साथ प्रिन्ट लगाकर स्थगन आदेश दे दिया था। किन्तु तहसीलदार भादरा हल्का पटवारी व गिरदावर ने फर्जकारी कुटरचित दस्तावेज तैयार करके इंतकाल में तारीख में कटींग कर दिनांक 09.11.2017 को अपील कृत आदेश में स्वीकृति दे दी जो विधि विरूद्ध ही नही बल्कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना व अपीलांट को नुकसान पहुचाने वाला है। जो एक अपराधीक कृत्य है तथा जानबुझ कर किसी लालचवश किया गया एक पक्षीय आदेश है जो निम्नलिखित आधारों पर अपील योग्य है :–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

1. यह कि मातहत अदालत ने मनमाना व स्वैच्छाचारीतपुर्ण व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य है।
2. यह कि मातहत अदालत को अपीलकृत आदेश व इंतकाल तस्दीक करने से पूर्व नोटिस जारी करना चाहिए था कि किसी अदालत का स्थगन आदेश है या नही जो जारी नही हुआ। एकपक्षीय तौर पर पारित निर्णय है जो खारिज योग्य है।
3. यह कि इंतकाल अपीलकृत में उपखण्ड अधिकारी भादरा के आदेश का जिक्र व माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय के आधार पर दर्ज करना जाहिर किया है। जबकि माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कोई भी आदेश तहसीलदार व उपखण्डाधिकारी को नही दिया जबकि उपपंजीयक भादरा को पत्र व डिक्री की नकल दी गई थी। इसलिए उप पंजीयक ही तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी को आदेश की प्रतिलिपि भेजकर कार्यवाही करवा सकता था। जो बिना इज़राय के ही उपखण्डाधिकारी भादरा ने तहसीलदार को पालना हेतु भेजा वह विधि विरूद्ध है क्योंकि आदेश देने से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक था। इसलिए शुन्य व विधि विरूद्ध बिना इजराय के आदेश की पालना एकपक्षीय तौर पर नही की जा सकती। अपील स्वीकार योग्य है।
4. यह कि मातहत अदालत मानसिंह वगैरहा के प्रभाव में आकर इंतकाल में काटा छांटी करके सभी रजिस्टर व इंतकाल में तारीख परिवर्तन करके इंतकाल दर्ज किया है क्योंकि दिनांक 08.11.2017 को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की अपील सं. 513 सन् 2017 में स्थगन आदेश की कापी प्रस्तुत करा दी गई थी। और तहसीलदार गिरदावर व हल्का पटवारी को सुचित कियसा जा चुका था। इसलिए कांटा छांटी करके इंतकाल स्वीकृत किया जो विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार योग्य है।
5. यह कि अपीलकृत आदेश में मृतक केसराराम के नाम इंतकाल स्वीकृत किया गया है ऐसा किसी अदालत का आदेश नही था। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय में केसराराम मृतक दिखाया गया है। उसके वारिसान फरीक है। इसलिए मृतक के नाम किस आदेश की पालना हुई है। ना तो पटवारी हल्का ना गिरदावर ना ही तहसीलदार ने इस बिन्दु पर ध्यान दिया। अपील स्वीकार योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

6. यह कि मातहत अदालत द्वारा तस्दीक शुदा इंतकाल में काट छांट करके इंतकाल सं. 2584 दिनांक अस्पष्ट है। पुर्व में इंतकाल सं. 2480 दर्ज है व दिनाक में भी काटा छांटी करके 08.11 कर दी गई। इस प्रकार कुटरचित दस्तावेज तैयार किये गये हैं जो आपराधिक कार्यवाही है। स्थगन आदेश के बाद दस्तावेज तैयार किये गये है। स्थगन आदेश की प्रति तहसीलदार को भेजी गई थी परन्तु तहसीलदार ने जमाबन्दी में नोट लगाया ना ही इंतकाल खारिज किया। अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन का ज्ञान होते हुए भी अपीलकृत आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर इंतकाल सं. 541 दिनांक 09.11.2017 चक 11 एमएसआर खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक केसराराम के पक्ष में इंतकाल दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है। मृतक केसराराम द्वारा अपीलांट के पक्ष में बैयनामा करवाया गया था जिसको निरस्त करने का वाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश भादरा में पेश किया गया था। जिसमें बैयनामा दिनांक 11.10.2017 को निरस्त कर दिया गया जिसकी अपील उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत कर स्थगन आदेश दिनांक 07.11.2017 को प्राप्त कर लिया व दिनांक 08.11.2017 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया, परन्तु पटवारी/गिरदावर हल्का ने फर्जकारी करते हुए कुटरचित दस्तावेज तैयार कर दिनांक 09.11.2017 को अपीलकृत आदेश जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश देने से पुर्व ना तो अपीलांट को सुना ना ही कोई नोटिस दिया। प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का स्थगन आदेश जारी था जो तहसीलदार को दिनांक 08.11.2017 को दे दिया गया था, परन्तु उक्त स्थगन आदेश को ना दर्शाते हुए काटा छांटी करके मृतक केसराराम के नाम से इंतकाल स्वीकृत किया है जबकि न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नही था व मृतक के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश जारी नही किया जा सकता। इस प्रकार मातहत अदालत द्वारा फर्जकारी करते हुए विधि विरूद्ध बिना किसी दस्तावेजी आधार के मृतक के नाम से इंतकाल दर्ज किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वकील रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि के संबंध में एक वाद बाबत बैयनामा निरस्त करवाने का एडीजे कोर्ट भादरा में जैरकार था जो दिनांक 11.10.2017 को निर्णित होकर वाद को डिक्री कर केसराराम द्वारा करवाये गये बैयनामें को नल एण्ड वॉयड घोषित कर दिया। उक्त वाद की डिक्री की पालना में ही अपीलकृत इंतकाल तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इंतकाल दर्ज करने में किसी प्रकार की गलती नही की। न्यायालय के आदेश की पालना की गई है। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जो अपील प्रस्तुत की है परन्तु स्थगन आदेश जारी होने से पुर्व ही इंतकाल तस्दीक कर दिया गया था। किसी प्रकार की फर्जकारी नही की गई है। डिक्री की इजराज जारी होने पर न्यायालय के आदेश की पालना कानूनी रूप से की जानी आवश्यक है तथा माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर में विचाराधीन अपील का निर्णय होने पर निर्णय अनुसार स्वतः ही कार्यवाही हो जावेगी। इतकाल से किसी प्रकार के हक व अधिकार तैय नही होते। यह तो केवल मात्र फिसिकल कार्यवाही है।वकील रेस्पो. ने अपनी बहस की समर्थन में कानूनी नजीरे ***आरबीजे 1992 पेज 127, आरबीजे 2002 पेज 580, आरबीजे 2006 पेज 260, आरबीजे 2009 पेज 428, आरबीजे 2013 पेज 1 से 9 पेश किये।*** जिसमें स्पष्ट है कि इंतकाल की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है, जिसमें विवादित प्रश्न तैय नही किये जा सकते। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गय इतकाल विधि एवं दस्तावेजो के आधार पर है जिसको निरस्त करने का कोई कारण नही। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। कानूनी नजीरों का सम्मानपुर्वक अध्ययन किया। विवादित इंतकाल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिनाक 07.11.2017 को जारी हो चुका था। अपीलांट के कथनानुसार उक्त स्थगन आदेश तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया गया था। प्रस्तुत इंतकाल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इंतकाल की जांच व स्वीकृति दिनांक 09.11.2017 को हुई है, दर्ज अवश्य दिनांक 08.11.2017 को किया गया है परन्तु दिनांक में काटा छांटी है जो संदेहास्पद है। इंतकाल की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही जिससे किसी प्रकार के हक व अधिकार तैय नही होते। प्रस्तुत कानूनी नजीरों से भी यह साबित है कि न्यायालय में वाद विचाराधीन होने पर ऐसी स्थिति में इंतकाल की कार्यवाही को रोक देना चाहिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकशुदा इंतकाल सं. 541 दिनाक 09.11.2017 अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार को लोटाई जाती है कि पक्षकारान को सुनकर एवं माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्णय एवं उच्च न्यायालय जोधुपर के विचाराधीन अपील को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। स्थगनादेश

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर